छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक एफ 7–4/सात–1/2015/पार्ट नया रायपुर दिनांक 29 AUG 2016 /08/2016

प्रति,

समस्त कलेक्टर
छत्तीसगढ़

विषय :– भूमि अर्जन से प्रभावित परिवारों को अधिनियम की अनुसूची–"दो" के लाभ दिए जाने विषयक।

---

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की अनुसूची –"दो" व "तीन" में पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन संबंधी हकदारियों का प्रावधान है।

2/ विभागीय पत्र क्रमांक एफ 4–167/सात–1/2015, दिनांक 14 सितंबर, 2015 द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं, कि अनुसूची–दो की कण्डिका –4 का लाभ सभी प्रभावित कुटुबों को प्राप्त होगा। इस संबंध में कतिपय जिलों से अलग–अलग बिन्दुओं पर मार्गदर्शन चाहा गया। फलस्वरूप विधि विभाग से अभिमत मांगा गया, कि अनुसूची–दो की कण्डिका –4 का लाभ क्या सभी प्रभावित कुटुबों को देय है? विधि विभाग द्वारा निम्नानुसार अभिमत दिया गया है :–

" भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 16 (2) में यह स्पष्ट प्रावधानित है, कि :–

प्रशासक, उप–धारा (1) के अधीन सर्वेक्षण और जनगणना के आधार पर, विहित किए गए अनुसार एक प्रारूप पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार करेगा, जिसमें ऐसे प्रत्येक भू–स्वामी और भूमिहीन की पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन हकदारियों की विशिष्टियां सम्मिलित होंगी, जिनकी जीविका मुख्य रूप से अर्जित की जा रही भूमियों पर निर्भर है और जहां प्रभावित कुटुंबों के पुनर्व्यवस्थापन में निम्नलिखित अंतर्वलित है –

(एक) पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र में उपलब्ध कराये जाने वाले सरकारी भवनों की सूची,

(दो) ऐसी लोक सुख–सुविधाओं और अवसंरचनात्मक सुविधाओं ब्यौरे, जो पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र में उपलब्ध करायी जानी है।"

इसी प्रकार अधिनियम की अनुसूची –"दो" का प्रावधान भी इस प्रकार है, कि ऐसे तत्वों के अतिरिक्त जो पहली अनुसूची में उपबंधित है, सभी प्रभावित कुटुंबों (ऐसे भूमिस्वामी और कुटुंब दोनों जिनकी जीविका मुख्यतः अर्जित भूमि पर निर्भर है) के लिए पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन का हक होगा। उक्त प्रावधान से

यह सुस्पष्ट है, कि केवल वे ही परिवार पुनर्वासन के लिए पात्रता धारित करेंगे, जिनकी भूमि अर्जन के फलस्वरूप उनकी आजीविका प्रभावित हो रही हो।"

3/ विधि विभाग के उपरोक्त अभिमत के आधार पर निर्देशित किया जाता है, कि अधिनियम की अनुसूची–"दो" की कण्डिका– 4 का लाभ केवल उन्हीं प्रभावित कुटुंबों को देय होगा, जिनकी जीविका प्रमुखः अर्जित की जाने वाली भूमि पर निर्भर है। इस संबंध में अधिनियम के अन्य प्रावधान यथावत होंगे। विभागीय निर्देश क्रमांक एफ 4–167/सात–1/2015, दिनांक 14 सितंबर, 2015 एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

(के.आर. पिस्दा)
सचिव 27/8/2016
छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

पृ0क्रमांक एफ 7–4/सात–1/2015/पार्ट नया रायपुर दिनांक 29 AUG 2016/08/2016

प्रतिलिपि–

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, छ0ग0 शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग।
2. समस्त संभागीय आयुक्त, छत्तीसगढ़।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

सचिव 27/8/2016
छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग